

### कामिक और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कामिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 10 जून, 1987

का. आ. 1591 राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रवृत्त शोक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवा करने वाले व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात्, केन्द्रीय सिविल सेवा (बर्गीकरण/नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (बर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) दूसरा संशोधन) नियम, 1987 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय सिविल सेवा (बर्गीकरण) नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम II के खंड (ii) के पश्चात् और स्पष्टीकरण के पूर्व निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किए जायेंगे, अर्थात् :-

"परन्तु प्रत्येक ऐसे मामले में जिसमें कोई पदीय कार्य करने या उससे प्रवृत्त रहने के लिए हेतु या इनाम के रूप में, वृद्ध पारिश्रमिक से भ्रष्ट कोई परितोषण किसी व्यक्ति से स्वीकार करने का आरोप सिद्ध हो जाता है, खंड (iii) या खंड (i) में उल्लिखित शास्ति अधिरोपित की जाएगी ;

परन्तु यह और कि किसी असाधारण मामले में और उसके लिए जो विशेष कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, कोई अन्य शास्ति अधिरोपित की जा सकती।"

[संख्या 11012/11/86-स्था. (ए)]

### MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 10th June, 1987

S.O. 1591.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309, read with clause (5) of article 148, Controller and Auditor General of India in relation to persons of the Constitution, and after consultation with the Com-servicing in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Classification Control and Appeal) Rules, 1965, namely :-

- 1 (1) These rules may be called the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) (Second Amendment) Rules, 1987.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, in rule 11, after clause (ix), and before the Explanation, the following provisos shall be inserted, namely:—

‘Provided that, in every case in which the charge of acceptance from any person of any gratification, other than legal remuneration, as a motive or reward for doing or for bearing to do any official act is established, the penalty mentioned in clause (viii) or clause (ix) shall be imposed:

Provided further that in any exceptional case and for special reasons recorded in writing any other penalty may be imposed.”

[No. 11012/11/86 Ests.(A)]